राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 272/2025

डॉ चिमन लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान व अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हिमांशु श्रीमाली, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्साधिकारी, गायनी के पद पर एसडीएच कुशलगढ बासवांडा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपजिला चिकित्सालय, बागीदौरा, बांसवाडा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलीर्थी के स्थानांतरण से वर्तमान पदस्थापन खाली हो जाएगा, जिससे यहा स्त्री रोग विशेषज्ञ का कार्य प्रभावित होगा चुंकि उप जिला चिकित्सालय कुशलगढ, 150 बेडेड चिकित्सालय है एवं उपजिला चिकित्सालय बागीदौरा 100 बेडेड चिकित्सालय है उप जिला चिकित्सालय कुशलगढ की बेड क्षमता अधिक होने से यहा गायनी की अधिक आवश्यकता है।
3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के

संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)